

दिल्ली



राजपत्र

Delhi Gazette

असाधारण

EXTRAORDINARY

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 135 ]

दिल्ली, बुधवार, अगस्त 25, 2010/भाद्र 3, 1932

[ रा.रा.रा.क्षे.दि. सं. 127

No. 135]

DELHI, WEDNESDAY, AUGUST 25, 2010/BHADRA 3, 1932

[N.C.T.D. No. 127

भाग—IV

PART—IV

राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र दिल्ली सरकार

GOVERNMENT OF THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI

वित्त (टी व ई) विभाग

अधिसूचना

दिल्ली, 25 अगस्त, 2010

सं. फा. 3(9)/वित्त (क. एवं स्थाप.)/2009-10/एएसएफ/182.—दिल्ली मूल्य संवर्धित कर नियमावली, 2005 के नियम 47 के साथ पठित दिल्ली मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2004 (2005 का दिल्ली अधिनियम 3) की धारा 66 की उप-धारा (2) के खंड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल, मूल्य संवर्धित कर आयुक्त, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार की उक्त अधिनियम के प्रशासन में सहायता करने के लिए निम्नलिखित अधिकारियों को पदग्रहण की तिथि से नियुक्त करते हैं, अर्थात् :—

क्र. सं.	अधिकारी का नाम (श्री/श्रीमती/कु.)	पदनाम
1.	राजीव छाबड़ा	सहायक मूल्य संवर्धित कर अधिकारी
2.	चन्द्रशेखर	सहायक मूल्य संवर्धित कर अधिकारी
3.	रविन्द्र सिंह	सहायक मूल्य संवर्धित कर अधिकारी
4.	प्रशान्त कुमार प्रसाद	सहायक मूल्य संवर्धित कर अधिकारी
5.	कृष्ण कुमार	सहायक मूल्य संवर्धित कर अधिकारी

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल के आदेश से तथा उनके नाम पर,  
अजय कुमार गर्ग, अतिरिक्त सचिव

FINANCE (T &amp; E) DEPARTMENT

NOTIFICATION

Delhi, the 25th August, 2010

No. F. 3(9)/Fin (T&E)/2009-10/asf/182.—In exercise of the powers conferred by clause (a) of sub-section (2) of Section 66 of the Delhi Value Added Tax Act, 2004 (Delhi Act 3 of 2005), read with rule 47 of the Delhi Value Added Tax Rules, 2005, the Lt. Governor of the National Capital Territory of Delhi is pleased to appoint the following officers, with effect from the date of assumption of charge to assist the Commissioner of Value Added Tax, Government of National Capital Territory of Delhi, in the administration of the said Act, namely :—

S. No.	Name of the Officer (Sh./Smt./Km.)	Appointed As
1.	Rajiv Chhabra	Asstt. Value Added Tax Officer
2.	Chander Sekhar	Asstt. Value Added Tax Officer
3.	Ravinder Singh	Asstt. Value Added Tax Officer
4.	Prashant Kumar Prasad	Asstt. Value Added Tax Officer
5.	Krishan Kumar	Asstt. Value Added Tax Officer

By Order and in the Name of the Lt. Governor  
of the National Capital Territory of Delhi,  
AJAY KUMAR GARG, Addl. Secy.

शहरी विकास विभाग  
अधिसूचना

दिल्ली, 25 अगस्त, 2010

सं. फा. 2(7)/यूडी/डीयूसआईबी/2010/13561-13574.—दिल्ली शहरी आश्रय सुधार बोर्ड अधिनियम, 2010 (2010 का दिल्ली अधिनियम 07) की धारा 30 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार उक्त अधिनियम के उपबंधों के क्रियान्वयन में दिल्ली नगर निगम के स्लम एवं झुग्गी झोपड़ी विभाग के अधिकारियों एवं अन्य कर्मचारियों की सेवाएं प्राप्त करने के लिए दिल्ली शहरी आश्रय सुधार बोर्ड (इसके पश्चात् जिसे "बोर्ड" कहा गया है) को इसके द्वारा अनुमोदन प्रदान करती है, सरकार निम्नलिखित शर्तों के अधीन निर्देश देती है कि:—

(2) स्लम तथा झुग्गी झोपड़ी विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों के पदनाम बोर्ड द्वारा संशोधित किये जाने तक वही रहेंगे।

(3) अधिकारियों एवं कर्मचारियों का पद पर कार्यकाल वही रहेगा, वही पारिश्रमिक रहेंगे तथा सेवा की वही शर्तें रहेंगी जैसा कि उनकी पहले है, यदि बोर्ड स्थापित नहीं हुआ होता और बोर्ड द्वारा विधिवत् किए जाने तक कार्यकाल, पारिश्रमिक तथा सेवा शर्तें बने रहेगा/रहेगी।

(4) किसी ऐसे अधिकारी या कर्मचारी का कार्यकाल, पारिश्रमिक तथा सेवा शर्तें सरकार के पूर्व अनुमोदन के बिना उसके अहित के लिए परिवर्तित नहीं किया जाएगा/किए जाएंगे।

(5) बोर्ड की स्थापना से पहले किसी ऐसे अधिकारी या कर्मचारी द्वारा की गई किसी सेवा को बोर्ड के अन्तर्गत लगाई गई मान ली जाएगी।

(6) बोर्ड पूर्वोक्त अधिनियम के अन्तर्गत ऐसे कार्यों के निर्वहन में किसी ऐसे अधिकारी या अन्य कर्मचारी को लगा/तैनात कर सकते हैं जैसा बोर्ड उपयुक्त समझते हो और प्रत्येक ऐसा अधिकारी या अन्य कर्मचारी तदनुसार उन कर्तव्यों का निर्वहन करेंगे।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल  
के आदेश से तथा उनके नाम पर,  
बी. वी. सेल्वराज, प्रधान सचिव

DEPARTMENT OF URBAN DEVELOPMENT  
NOTIFICATION

Delhi, the 25th August, 2010

No. F. 2(7)/UD/DUSIB/2010/13561-13574.—In exercise of the powers conferred by Section 30 of the Delhi Urban Shelter Improvement Board Act, 2010 (Delhi Act 07 of 2010) the Government of the National Capital Territory of Delhi, hereby grants approval to the Delhi Urban Shelter Improvement Board (hereinafter referred to as "Board") to take over the services of the officers and other employees of the Slum and JJ Department of the Municipal Corporation of Delhi in administering the provisions of the said Act, The Government further, subject to the conditions, directs that—

2. the designations of the officers and the employees of the Slum and JJ Department shall remain the same until modified by the Board;

3. the officers and employees shall hold office for the same tenure, at the same remuneration and on the same terms and conditions of service, as would have held, if the Board had not been established and shall continue to do so until such tenure, remuneration and terms and conditions are duly altered by the Board;

4. the tenure, remuneration and terms and conditions of service of any such officer or employee shall not be altered to his disadvantage without the previous approval of the Government.

5. any service rendered by any such officer or employee before the establishment of the Board shall be deemed to be service rendered under the Board;

6. the Board may employ any such officer or other employee in the discharge of such functions under the aforesaid Act as the Board may think proper and every such officer or other employee shall discharge those functions accordingly.

By Order and in the Name of the Lt. Governor  
of the National Capital Territory of Delhi,  
B. V. SELVARAJ, Prl. Secy.